

FORM No. III

फर्द अहकाम
(निबन्ध 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

राज्य अधिकांश जिले लहं वनाय दीपसिंह
दिनांक पुस्तक नं. 16 सन् 2022

तारीख	दुष्म वा कार्यवाही मय तपुइस्ताहर जय	सं. 26 2022
28.11.2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित एवं वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते प्राप्त होने शेष अप्रार्थीगण की अइन्तजार नोटिस तामील पत्रावली दिनांक 12.12.2022 को पेश हो।</p> <p>(दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	
12.12.2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित एवं वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज होकर निर्णित हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज कर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	